Panchayati Raj

सशक्त पंचायत सतत् विकास

Women Friendly Village

UNFPA

# लिंग आधारित हिंसा से मुक्त पंचायत

## जन प्रतिनिधियों के लिए सहायक पुस्तिका

# 1 लिंग आधारित हिंसा क्या है?

**लिंग आधारित हिंसा कोई भी ऐसी हिंसा जो असमान लिंग आधारित सत्ता के आधार पर एक व्यक्ति (या व्यक्तियों) द्वारा दूसरे व्यक्ति (या व्यक्तियों) पर की जाती है। इसमें महिलाओं, लड़कियों, पुरुषों, लड़कों और विविध यौन रुझान और लिंग पहचान वाले व्यक्तियों के खिलाफ हिंसा शामिल है।**

लिंग आधारित हिंसा मानवाधिकारों का सबसे व्यापक उल्लंघन है। महिलाएं और लड़कियों के साथ लिंग आधारित हिंसा होने की संभावना ज्यादा होती है। साथ ही महिलाएं और लड़कियां हिंसा के हानिकारक परिणामों का बोझ भी लंबे समय तक उठाती हैं। विभिन्न शोध से पता चलता है कि लगभाग तीन में से एक महिला के साथ शारीरिक या यौन हिंसा हुई है।

लिंग आधारित हिंसा कई रुप ले सकती है: शारीरिक, यौनिक, भावनात्मक और आर्थिक। यह महिलाओं को अपने अधिकारों से वंचित रखती है। हिंसा से जुड़े शर्म के कारण अधिकतर महिलाएं इसके बारे में चुप रहती हैं। हिंसा के कई घातक और गैर-घातक परिणाम हो सकते हैं।

सार्वजनिक और निजी स्थानों पर लिंग आधारित हिंसा का समाधान करने में पंचायतों के जन प्रतिनिधि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे इसमें सक्रिय रुप से योगदान दे सकते हैं:

- लिंग आधारित हिंसा की **रोकथाम**
- हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों को **सहायता देना**
- ऐसे कार्यक्रमों का समर्थन करना जिससे **लिंग आधारित हिंसा से पीड़ित महिलाएँ और व्यक्ति सशक्त बन सकें**

# 2 लिंग आधारित हिंसा के रूप क्या हैं?

**• शारीरिक • भावनात्मक • यौनिक • आर्थिक**

## शारीरिक हिंसा

इसका सन्दर्भ किसी भी शारीरिक झोकम (जोखिम) पहुंचाने से है। यह थप्पड़ मारने, मुक्का मारने, धक्का देने, मारपीट करने, गला घोंटने, लात मारने, वस्तुओं को फेंकने, बाध्य करने, चोट पहुंचाने के लिए वस्तुओं या हथियारों का उपयोग करने और जलाने का रूप ले सकती है। इस तरह की हिंसा से चोट लगने और जलने से लेकर स्थायी विकलांगता और मृत्यु तक हो सकती है।

### शारीरिक हिंसा: केस स्टडी

23 साल की जमुना अपने पति रवि और दो बच्चों के साथ ओडिशा के ढेंकेनाल जिले के एक गांव में रहती है। एक शाम उसने जो खाना बनाया वह सामान्य से अधिक मसालेदार था। खाने के बाद, उसके पति ने कहा कि वह एक लापरवाह महिला है जो केवल टीवी देखने में रुचि रखती है और कोई काम नहीं करती है, वह उसे थप्पड़ मारता है और उसे गालियां देता है। जमुना दुखी रहती है लेकिन समझ नहीं पाती कि क्या करे।

यदि आपको जन प्रतिनिधि के रूप में ऐसी किसी घटना के बारे में पता चलता है, तो आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

महिला से संपर्क रख कर, **सहानुभूति के साथ उसका अनुभव सुनना।**

महिला को **भरोसा देना कि उसके साथ हुई हिंसा उसकी गलती नहीं है,** और उसे सहायता लेने के लिए सलाह देना।

महिला की **ज़रूरतों को समझना** (शारीरिक, भावनात्मक, या कोई अन्य आवश्यकता)।

यदि महिला को चोट लगी है और स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता हो, तो यह सुनिश्चित करना कि उसे **आशा कार्यकर्ता/एएनएम की मदद से प्राथमिक चिकित्सा मिले,** और यदि आवश्यक हो तो आगे के उपचार के लिए उसे **अस्पताल में रेफर करना।**

यदि महिला को **स्वास्थ्य सेवाएं, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, अस्थायी आश्रय या परामर्श सेवाओं** की आवश्यकता है, तो उसे **वन स्टॉप सेंटर** में सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर **से संपर्क करने में मदद करना।**

अत्याचार से पीड़ित महिलाओं के लिए **हेल्पलाइन नंबर 181 साझा करना।**

महिला से यह समझना कि वह क्या मदद चाहती है, **स्थानीय परिवहन** या किसी और ज़रूरत के लिए और यदि आवश्यक हो तो **आर्थिक सहायता देना।**

**पति को समझाना कि आपकी पंचायत में** सार्वजनिक और निजी दोनों स्थानों पर किसी भी रूप में **हिंसा स्वीकार्य नहीं है।**

**जागरूकता पैदा करना** कि महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत, **घरेलू हिंसा एक अपराध है।**

**जिन व्यक्तियों को किसी भी तरह की विकलांगता है,** उनके साथ सार्वजनिक और निजी, दोनों स्थानों पर हिंसा होने की संभावना दो से चार गुना ज़्यादा है। एक जन प्रतिनिधि के रूप में **इस समूह की विविध आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहना, उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना और सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना।**

# भावनात्मक हिंसा

इसमें किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार या उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना शामिल है। यह आलोचना, धमकियाँ, अपमान, तुच्छ टिप्पणियाँ, परिवार या दोस्तों से अलगाव, करीबी लोगों को नुकसान पहुँचाने की धमकी देना और मान्यताओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास हो सकता है। जो व्यक्ति भावनात्मक हिंसा से पीड़ित होते हैं, वे आम तौर पर आत्मसम्मान खो बैठते हैं जिसके कारण अवसाद से गुज़रते हैं।

## भावनात्मक हिंसा: केस स्टडी

फूली महाराष्ट्र के बीड़ जिले के एक गांव में रहती है। फूली की दो बेटियां हैं और वह तीसरी बार गर्भवती है। उसके पति और सास-ससुर बेटियों को जन्म देने के लिए उसे ताने मारते रहते हैं। वे उस पर लिंग परीक्षण कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं और उससे कहा है कि अगर उसने इस बार बेटे को जन्म नहीं दिया तो वे उसे उसके माता-पिता के पास वापस भेज देंगे और उसका पति दूसरी शादी कर लेगा।

यदि आपको जन प्रतिनिधि के रूप में ऐसी किसी घटना के बारे में पता चलता है, तो आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

महिला की बात सहानुभूति से सुनना और उसे **भावनात्मक समर्थन प्रदान करना।**

**परिवार को समझाना** कि वे लड़कियों के साथ भेदभाव ना करें और लड़की के जन्म का स्वागत करें।

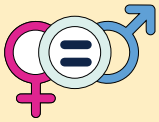

सुनिश्चित करना कि गर्भवती महिलाओं के परिवारों को एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा **लिंग-चयन की अवैधता** के बारे में जानकारी दी जाए।

लड़कियों की तुलना में लड़कों को महत्त्व देनेवाली **मानसिकता को बदलने के लिए** जागरूकता अभियान चलाना।

विभिन्न तरीकों से **बालिका के जन्म का जश्न** मनाने के लिए परिवारों और समुदाय को एकजुट करना।

यह **सुनिश्चित करना कि समुदाय को लड़कियों के सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं के बारे में जानकारी है** और बिना किसी कठिनाई के उनका लाभ लेने में सक्षम है।

"बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम के तहत **ज़मीनी स्तर की गतिविधियों और अभियानों के क्रियान्वयन में सहायता करना।**

**ग्राम स्वास्थ्य पोषण और स्वच्छता समितियों का गठन और कामकाज सुनिश्चित करना** जिससे लड़कियों को स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण, इत्यादि की सेवाएँ मिल सके।

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन पर प्रतिबंध) अधिनियम के तहत **लिंग चयन और निर्धारण की अवैधता** के बारे में समुदाय को सूचित करने के लिए अभियान चलाना।

# यौनिक हिंसा

इसमें किसी व्यक्ति को लक्ष्य करके उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया कोई भी यौन कृत्य शामिल है। यह सेक्स की मांग या ज़बर्दस्ती करके यौन कृत्य, अपने साथी को दूसरे व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना, अपने साथी के साथ यौन रूप से अपमानजनक व्यवहार करना या असुरक्षित यौन संबंध पर जोर देना, व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध अश्लील चित्र दिखाना या अश्लील साहित्य के ग्राफिक विवरण का रूप ले सकता है। ऐसी हिंसा के गंभीर भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक परिणाम हो सकते हैं।

## यौनिक हिंसा: केस स्टडी

19 साल की सुमती बिहार के सहरसा जिले के एक गांव में रहती है। उसका पड़ोसी सुमती पर अभद्र टिप्पणी करता है। कल शाम, जब वह अपने कॉलेज से लौट रही थी, तो अंधेरा था और उसके पड़ोसी ने उसे अनुचित तरीके से छूआ और ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। सुमती डरी हुई थी लेकिन हिम्मत करके उसने अपने माता-पिता को बताया। उसके माता-पिता जन प्रतिनिधि के पास पहुंचे।

ऐसे मामलों में, एक जन प्रतिनिधि के रूप में, आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

महिला और उसके परिवार की बात सुनना और **भावनात्मक समर्थन प्रदान करना।**

घटना की सूचना पुलिस को देने के लिए परिवार के सदस्यों को समझाना। रात्रिकालीन कड़ी निगरानी रखकर **परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पंचायत का सहयोग लेना।**

**अपराधी को कड़ा संदेश भेजना** कि उसके कार्यों को पंचायत द्वारा समर्थन नहीं दिया जाएगा और पंचायत उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

यदि महिला को स्वास्थ्य, पुलिस, कानूनी सहायता और परामर्श सेवाओं की जरुरत हो, तो उसे **वन स्टॉप सेंटर में भेजना।**

घरों के भीतर और सार्वजनिक स्थानों पर **हिंसा को रोकने के लिए पुरुषों और लड़कों का समर्थन लेना।**

सुरक्षा आंकलन (सेफ्टी ऑडिट) करने और **गांवों में असुरक्षित स्थानों की पहचान करने के लिए समुदाय में महिलाओं और लड़कियों के साथ काम करना।**

**सुरक्षा आंकलन (सेफ्टी ऑडिट) में पहचाने गए मुद्दों को ग्राम पंचायत विकास योजना में जोड़ना और उसके लिए बजट रखना।**

पीड़ित महिलाओं का समर्थन करने और उन्हें सेवाओं से जोड़ने के लिए **सामुदायिक कार्य बिंदुओं (सामुदायिक सतर्कता समितियां, सामुदायिक पुलिस) की पहचान करना।**

**जागरूकता पैदा करना कि किसी भी प्रकार की यौन उत्पीड़न कानूनी अपराध है।**

## सुरक्षा आंकलन (सेफ्टी ऑडिट)

1. सुरक्षा आंकलन सार्वजनिक स्थानों पर **सुरक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित** करने का एक सहभागितापूर्ण तरीका है।

2. इसका उपयोग उन मापदंडों के आधार पर **महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को समझने के लिए** किया जा सकता है जो उन्हें सबसे अधिक प्रासंगिक लगते हैं, जैसे अपर्याप्त स्ट्रीट लाइट, सुनसान रास्ते, ऐसे स्थान जहां पुरुषों और लड़कों के समूह एकत्रित होते हैं और भद्दी/अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं और अन्य कारक जो महिलाओं और लड़कियों को असुरक्षित महसूस कराते हैं।

3. जन प्रतिनिधि समुदाय में **महिलाओं और लड़कियों को उन स्थानों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित** कर सकते हैं जहां वे सबसे अधिक असुरक्षित महसूस करती हैं, और इन स्थानों को सामुदायिक मानचित्र पर मैप करने के लिए कह सकते हैं।

4. जन प्रतिनिधि **ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में पहचाने गए समाधान (स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरे आदि लगाना) के लिए बजट रख सकते हैं।**

# आर्थिक हिंसा

इसमें आर्थिक संसाधनों जैसे पैसा, आय, मजदूरी, वारिसाना हक, गुजारा भत्ता सहायता इत्यादि, आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर – शिक्षा, काम, व्यक्तिगत सामान और बुनियादी जरूरतों – भोजन, कपड़े, आवास इत्यादि, से वंचित रखना शामिल है।

## आर्थिक हिंसा: केस स्टडी

रेखा अपने पति और सास-ससुर के साथ राजस्थान के जोधपुर जिले के एक गाँव में रहती है। शादी के बाद से ही रेखा को उसके पति और सास-ससुर कम दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करते थे और उसकी आलोचना करते थे। क्यूंकि इस बार रेखा ने अपने माता-पिता से, अपने ससुराल वालों की मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया। इसलिए ससुराल वालों ने उसका खाना पीना बंद कर दिया ।

यदि आपके सामने ऐसी कोई घटना आती है, तो आप जन प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

महिला से संपर्क रख कर, **सहानुभूति के साथ उसका अनुभव सुनना।**

परिवार से बात करना और सुनिश्चित करना कि वे **महिला की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करें,** जैसे की भोजन।

परिवार को **सूचित करना कि** आपकी पंचायत में **किसी भी तरह की हिंसा चाहे वो निजी या सार्वजनिक स्थानों पर हो, स्वीकार्य नहीं।**

**दहेज निषेध अधिनियम** के अनुसार दहेज लेने और देने की अवैधता **पर अभियान चलाना।**

महिला सभा, बाल सभा, वार्ड सभा, ग्राम सभा आदि मंचों पर **'दहेज ना लेने ना देने' की शपथ दिलाना।**

महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर **नियुक्त दहेज निषेध अधिकारी के संपर्क विवरण प्रदर्शित करके,** नियुक्त अधिकारी तक पहुंच सुनिश्चित करना।

**बिना दहेज लिए और दिए विवाह करने वाले परिवारों को पहचानना और उनकी सराहना करना।**

महिलाओं को व्यावसायिक कौशल से जोड़कर उनके **आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।**

समुदाय में **आर्थिक हिंसा के विभिन्न प्रकार** के बारे में जानकारी देना और इनके समाधान के लिए कानूनी उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

उत्पादक रोज़गार में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए **बुजुर्गों के लिए डे-केयर सेंटर, बच्चों के लिए क्रेश जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।**

लिंग आधारित हिंसा सार्वजनिक, निजी, कार्यस्थल, और ऑनलाइन स्थानों पर हो सकती है और यह **यौन उत्पीड़न, पीछा करना, अश्लील हरकतें करना, तस्करी, नये तक़नीकों द्वारा हिंसा जैसे ऑनलाइन हिंसा,** जैसे रुप ले सकती हैं।

## मानव तस्करी: केस स्टडी

18 साल की सुजाता, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक गांव में रहती है। सुजाता ने अपनी माँ को तब खो दिया जब वह बहुत छोटी थी और वह अपनी दादी तथा पिता के साथ रहती थी। सुजाता को अपने दोस्त श्याम से मिलकर सांत्वना मिली। श्याम अक्सर सुजाता के लिए उपहार लाता है और उससे प्यार से बातें करता है। श्याम ने उसे भोपाल की एक प्रतिष्ठित संस्था में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी दिलाने का वादा किया। एक बड़े शहर में काम की उम्मीद से वह श्याम के साथ भोपाल चली गई। भोपाल पहुंचने पर श्याम उसे ऐसे घर में छोड़ता है जहां सेक्स वर्क होता है, ये कह कर की वो उसके दोस्त का घर है। सुजाता बहुत परेशान है और घरवालों से सम्पर्क बनाने की कोशिश करती है ।

इधर गांव में, सुजाता का परिवार उसे ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा है और वे मदद के लिए जन प्रतिनिधि के पास जाते हैं, तभी उन्हें सुजाता का फोन आता है, और वह बताती है कि उसके साथ क्या हुआ है।

यदि जन प्रतिनिधि के रुप में आपके सामने ऐसी कोई घटना आती है, तो आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

परिवार की बात सुनें और **भावनात्मक सहारा दें।** परिवार को बिना देर किए घटना की सूचना पुलिस को देने के लिए सलाह दें।

**पीड़िता को भोपाल से वापस लाने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ नेटवर्क/सम्पर्क करें।**

**बचाए जाने** और घर वापस लाए जाने **के बाद ऐसी लड़कियों को होने वाली बदनामी की चिंताओं का समाधान करें।**

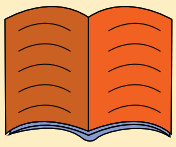

यह सुनिश्चित करना कि तस्करी से बचाए जाने के बाद, लोगों को **शिक्षा और लाभकारी रोज़गार से जोड़ा जाए।**

महिलाओं, लड़कियों और जोखिमग्रस्त **समुदाय के सदस्यों को मानव तस्करी, इसके कारणों और वह कैसे होती है इसके बारे में जानकारी देना।**

समुदाय में मानव तस्करी के बारे में जागरुकता बनाए रखना और स्थानीय प्रबंधकों जैसे दुकानदार, टैक्सी, बस चलाने वालों के बीच इस विषय में जागरुकता फैलाना ताकि यदि उन्हें तस्करी के किसी मामले के बारे में संदेह हो तो वो जन प्रतिनिधि या पुलिस को तुरंत जानकारी दे सकें।

## वन स्टॉप सेंटर

हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे सहायता देने की योजना।

सेवाओं की श्रेणी में शामिल हैं:

# 181

## महिला हेल्पलाइन

महिला हेल्पलाइन का उद्देश्य हिंसा से **पीड़ित महिलाओं को पुलिस, वन स्टॉप सेंटर, एवं स्वास्थ्य सेवाओं से तत्काल जोड़ना और महिलाओं से संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में** जानकारी देना।

# 3 लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए जन प्रतिनिधि क्या कदम उठा सकते हैं?

जन प्रतिनिधि निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

1. समुदाय के साथ अपनी सभी बातचीत में लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाना;
2. लिंग आधारित हिंसा पर जागरूकता फैलाने और रोकथाम की कार्रवाई करने के लिए समुदाय के सदस्यों को संगठित करना:
   - घरों और सार्वजनिक स्थानों पर **लिंग आधारित हिंसा से जुड़ी चुप्पी को तोड़ने के लिए अभियान चलाना**
   - उन **सामुदायिक स्थानों का मानचित्रण करने के लिए सुरक्षा आंकलन (सेफ्टी ऑडिट) करना** जहां महिलाएं और लड़कियां असुरक्षित महसूस करती हैं और इन स्थानों पर सुरक्षा के मुद्दों का समाधान करना

   - सतर्क रहने, हिंसा से बचाव हेतु लोगों का समर्थन करने, परिवारों को परामर्श देने और समुदाय स्तर पर लिंग आधारित हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए **फोकल प्वाइंट नामित करना और सामुदायिक कार्रवाई समूह बनाना**
   - लिंग आधारित हिंसा पर जागरूकता पैदा करने और **सकारात्मक पुरुषत्व को बढ़ावा देने के लिए पुरुषों और लड़कों के साथ काम करना**
3. हेल्पलाइन, पुलिस, अस्पताल, वन स्टॉप सेंटर सहित आस-पास के क्षेत्रों में **लिंग आधारित हिंसा से जुड़ी रोकथाम सेवाओं की उपलब्धता का प्रचार करना।**

## जन प्रतिनिधि लिंग आधारित हिंसा से बचाव हेतु सामुदायिक स्तर पर क्या कदम उठा सकते हैं?

जन प्रतिनिधि, पुलिस और समुदाय के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए युवाओं को सामुदायिक निगरानी दल के रूप में नामित कर सकते हैं। ये निगरानी दल निम्नलिखित दिशा में काम कर सकते हैं:

लिंग आधारित **समानता को बढ़ावा देने वाले अधिकारों** और कानूनों पर सामुदायिक जागरूकता पैदा करना

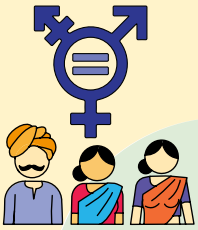

पुलिस से संपर्क करने की झिझक को दूर करने के लिए महिलाओं और लड़कियों का **पुलिस के साथ बेहतर जुड़ाव सुनिश्चित करना**

समुदाय को पुलिस से सेवाओं की मांग करने और जवाबदेही **सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाना**

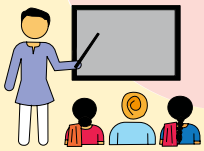

समुदाय, स्कूलों, कॉलेजों आदि में लिंग आधारित हिंसा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए **आउटरीच सत्र आयोजित करना**

# 4 लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों की मदद देने के लिए जन प्रतिनिधि क्या कदम उठा सकते हैं?

**लिंग आधारित हिंसा पीड़ितों को मदद देने के लिए जन प्रतिनिधि निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:**

1. समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों, वन स्टॉप सेंटरों, आश्रय गृहों और पुलिस स्टेशनों से जुड़ें
2. पंचायत कार्यालय के भीतर संचालित हेल्प डेस्क के हिस्से के रूप में लिंग आधारित हिंसा रोकथाम सेवाओं पर सूचना दें, जिससे उत्तरजीवी हिंसा झेल रहे लोग बिना किसी झिझक के इन सेवाओं तक पहुंच सकें।
3. हिंसा झेल रहे लोगों को सेवाओं तक पहुंचने (परिवहन लागत, चिकित्सा, कानूनी सहायता का कवरेज – जैसा प्रासंगिक हो) और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने (स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरों की स्थापना और रखरखाव) के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना में बजट आवंटित करें।

## पंचायतें – पंचायत भवन में निम्नलिखित संपर्क नंबर प्रदर्शित करें

**हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं के लिए हेल्पलाइन**

**पुलिस थाना**

**जिला अस्पताल**

**वन स्टॉप सेंटर**

**आश्रय गृह**

**संरक्षण अधिकारी**

**बाल विवाह निषेध अधिकारी**

**दहेज निषेध अधिकारी**

**ए.एन.एम**

**आशा कार्यकर्ता**

**निःशुल्क कानूनी सहायता केन्द्र (जिला विधिक सेवा प्रधिकरण)**

# 5 जन प्रतिनिधि महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए क्या कर सकते हैं?

### जन प्रतिनिधि निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

1 **पंचायत गतिविधियों में महिलाओं की सामान्य और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना;** जैसे कि महिला सभा आयोजित करना, ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में महिलाओं के मुद्दों पर खास ध्यान देना।

2 **ग्राम पंचायत स्थायी समितियों की बैठकों में वंचित समूहों की महिलाओं और व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करना।**

3 ग्रामीण स्तर पर मौजूदा संरचनाओं जैसे स्वयं सहायता समूहों और अन्य समुदाय-आधारित समूहों के साथ संबंध विकसित करना और **महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के अवसरों में निवेश करना।**

4 **महिलाओं और लड़कियों के लिए आवास अधिकार और कृषि भूमि का अधिकार सुनिश्चित करना।**

## महिला सभा क्या है? महिला सभा का आयोजन कैसे करें?

महिला सभा ग्राम पंचायत की महिला मतदाताओं (18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाएं) की एक सभा है। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रत्येक ग्राम सभा से पहले महिला सभा का आयोजन अनिवार्य किया गया है। महिला सभाओं का आयोजन गाँव की महिलाओं को उनकी विकास संबंधी आवश्यकताओं पर चर्चा करने और उन्हें ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल करने के लिए प्राथमिकता देने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

महिला सभा में जिन मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है उनमें शामिल हैं:

- विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं सहित महिलाओं और लड़कियों से संबंधित **योजनाओं और कार्यक्रमों तक पहुंच।**
- **शिक्षा तक पहुंच** और लड़कियों के ड्रॉप आउट में कमी लाना।
- **मासिक धर्म स्वास्थ्य** और सैनिटरी नैपकिन जैसे मासिक धर्म उत्पादों की उपलब्धता।
- सार्वजनिक और निजी स्थानों पर **लिंग आधारित हिंसा का समाधान करना।**
- महिलाओं और लड़कियों की **व्यावसायिक कौशल और रोज़गार** तक पहुंच।
- **महिला स्वयं सहायता समूहों का बैंक ऋण, कौशल प्रशिक्षण और विपणन संबंधों से जुड़ना सुनिश्चित करना।**
- **गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता।**
- **महिलाओं हेतु घरों और कृषि भूमि स्वामित्व के संयुक्त पंजीकरण के अवसर।**
- **सुरक्षित पेय जल** की पहुंच और उपलब्धता।
- **महिला किसानों के लिए विस्तार प्रशिक्षण सब्सिडी व कृषि से जुड़ी आधुनिक तकनीक के साथ जुड़ाव।**